हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/08/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक..16/09/25 को पेश हो। हस्तादार रीडर	
16/09/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक..13/10/25 को पेश हो। हस्तादार रीडर	
13/10/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० पत्रावली बाबते बहस दिनांक 17/10/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
17/10/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० उभयपक्ष वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस की गयी। इसी बहस उभयपक्ष वकील सुनी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 28/10/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
28/10/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० । प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर वकील उभयपक्ष द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। प्रा.पत्र, जवाब प्रा.पत्र, व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। मूल दावा इस्तकराहक खेतदारी व इन्द्राज दुरुस्ती तथा स्थायी निषेधाज्ञा का है। वाद की सुनवायी के दौरान वादग्रस्त cont'd	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

भूमि में मजाहमत पैदा करने एवं रहन-बय करने के उद्देश्य के मद्देनजर अप्रार्थीगण को पाबंद कर प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को उक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वकील उभय पक्ष बहस पर मनन करने व प्रार्थना पत्र, जवाब दावा व प्रत्युत्तर एवं संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 31/07/2018 को ताईदसता मूलवाद कायम कर अप्रार्थीगण की रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं भूमि का किसी अन्य को रहन-बय नहीं करने हेतु पाबंद प्रार्थिगण घोषित किया जाता है। फरीकैन अपना अपना खर्चा हस्बुलहुक्म मुकदमा मूलवाद रहे।

28/10/2

उप खण्ड अधिकारी
नोहर (राज.)